

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,

उदयपुर

विषय :- Diversion of 2.1137 hac. (Udaipur Wl. 0.8586 + 1.2511 Udaipur South) forest land in favour of PHED, Udaipur for AUGMENTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR PROPOSAL NO FP/

RJ/WATER/151001/2022 प्रस्ताव के सम्बन्ध में

सन्दर्भ :- पत्र क्रमांक एफ 14 (/)/ Water 2022/ एफसीए/ प्रमुखसं/ 5670 -71/ दिनांक 18 .04 .2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि AUGMENTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR PROPOSAL NO FP/ RJ/WATER/151001/2022 का परिक्षण करने के उपरांत लगाये गये आक्षेपों कि पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है ।

क्र. सं.	आक्षेप	जवाब
1.	यूजर एजेंसी द्वारा KML file में वन / अभ्यारण्य सीमा एवं माण्डलवाईज अपलोड नहीं की गई है उदयपुर वन्यजीव जिसमें तीन पैच बनाये गये हैं उनका क्षेत्रफल 0.8577 है (GSS - 898 , Pipeline -0.1767 and High tension line -0.5912) जो कि आवेदित वन क्षेत्र 0.8586 है० से कम है।	KML file में वन / अभ्यारण्य सीमा एवं माण्डलवाईज क्षेत्रफल में सुधार कर पुनः अपलोड कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में संलग्न DGPS map में कॉर्नेर्स पॉइंट के कॉर्डिनेट्स एवं चेनऐज अंकित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न DGPS map में कॉर्नेर्स पॉइंट के कॉर्डिनेट्स व चेनेज अंकित कर दिए गये हैं ।
3.	यूजर एजेंसी द्वारा वैकल्पिक मार्ग नहीं होने का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है।	वैकल्पिक मार्ग सकरा होने व पाईप लाईन का मार्ग सुगम नहीं होने से उक्त मार्ग पर ही लाईन डालना प्रस्तावित है
4.	प्रस्ताव में झील से पानी लिया जा रहा है एवं अभ्यारण्य क्षेत्र में जी० एस० एस ० एवं अन्य कार्य भी किये जाने हैं ऐसी स्थिति में यूजर एजेंसी द्वारा वन्यजीव क्षेत्र में आने में अभी	प्रस्ताव में वन्यजीव क्षेत्र हेतु आवेदन भी किया गया है व अपलोड भी कर दिया है ।

	आवेदन भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वन्यजीव स्वीकृति भी आवश्यक है ।	
5.	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम मामादेव तहसील कुरावड़ में 1.9637 है ० एवं विकास नगर तहसील खेरवाड़ा में 0.15 है ० भूमि आबंटित की गयी है। जबकि पूर्व में 2.1137 है ० मामादेव में आबंटित की गयी है उक्त भूमि को एक स्थान पर नहीं लिए जाने के कारण स्पष्ट किया जावे ।	उक्त भूमि वनक्षेत्र से घिरी होने के कारण तत्कालीन उपवन संरक्षक उदयपुर द्वारा जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह कर आवंटन करवाया गया है ।
6.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं है ।	प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है ।
7.	पाईप लाईन कितने मि ० मि ० की पानी की पाईप लाईन डाली जानी है स्पष्ट नहीं है इसके क्रॉस सेक्शन संलग्न नहीं है ।	पाईप लाईन 900 mm की डाली जानी है। जिसका क्रॉस सेक्शन संलग्न कर दिया गया है।
8.	प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजों अनुसार 33 KV Transmission Line डाली जानी प्रस्तावित है इस हेतु ROW 7 मीटर लिया गया है जबकि 15 मीटर लिया जाना प्रस्तावित है ।	प्रस्ताव में सुधार कर 33 kv लाईन के स्थान पर 33 kv केबल लेकर प्रस्ताव में संशोधन कर दिया गया है ।
9.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति संलग्न नहीं की गयी है ।	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति संलग्न कर दी गई है।
10.	एरिया कैलकुलेशन शीट में अभ्यारण्य क्षेत्र में वन / गैर वन भूमि का विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है ।	एरिया कैलकुलेशन शीट में अभ्यारण्य क्षेत्र में वन / गैर वन भूमि का विवरण संलग्न कर दिया गया है।
11.	बार चार्ट में चेनऐज अंकित नहीं किये गये है ।	बार चार्ट में चेनऐज अंकित कर दिए गये है ।
12.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में प्राप्त भूमि के DGPS map में वन सीमा इत्यादि का विवरण नहीं है । उक्त भूमि वन सीमा से काफी दूर है ।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में प्राप्त भूमि के DGPS map में वन सीमा इत्यादि का विवरण अंकित कर दिया गया है।


(ललित जोशी)
सहायक अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
परियोजना उपखण्ड, उदयपुर